न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 14.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00092

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री चम्पालाल पिता भुवाना बोला निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री रोशनलाल पिता भुवाना बोला निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
3–श्रीमती तुलसीबाई बेवा भुवाना बोला निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन मि. न. 84/70 आवंटन दिनांक 13.05.1974

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
2– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्र. सं. 10/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी बनाम श्री चम्पालाल पिता भुवाना बोला निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, राशमी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भूआवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन किया कि मौजा राशमी तहसील राशमी की साबिक आराजी नम्बर 559 में से रकबा 5.15 बीघा (वर्तमान आराजी संख्या 759/517 रकबा 0.12 बीघा किस्म पेटा 1 व 823/517 रकबा 7.01 बीघा किस्म पेटा 1) भूमि का आवंटन दिनांक 13.05.74 को भुवानीराम पिता खेमा रेगर निवासी राशमी को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 84/70 से दिनांक 13.05.1974 को गैर खातेदारी हक से आवंटित की। भुवानीराम मगना की मृत्यु होने से उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कभी भी काश्त नहीं की है तथा वर्तमान में भी पड़त पडी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जणवा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से विपक्षी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी कपासन ने अपने पत्रांक/सरिश्ता/2024/145 दिनांक 29.05.2024 से अवगत कराया कि उक्त पत्रावली की टीम गठित कर सघन जांच करवाई किन्तु उक्त पत्रावली काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। अतः काफी तलाश से भी उक्त पत्रावली नहीं मिलने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्र. सं. 10/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी बनाम श्री चम्पालाल पिता भुवाना बोला निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता एवं विपक्षी संख्या 3 के पति स्व. भुवानीराम को मौजा राशमी की साबिक आराजी संख्या 557 में से रकबा 5.15 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया। जिसके वर्तमान में आराजी संख्या 759/517 रकबा 0.12 बीघ किस्म पेटा 1 व आराजी संख्या 823/517 रकबा 7.01 बीघा किस्म पेटा 1 होकर विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त नहीं की तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पड़त पडी हुई है तथा आवंटित भूमि की किस्म पेटा होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से यह आवंटन योग्य नहीं होने से किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 84/70 से दिनांक 13.05.1974 को विपक्षी के पिता को उक्त भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया तभी से उक्त भूमि विपक्षीगण के कब्जे-काश्त में चली आ रही है भूमि की किस्म पेटा होने तथा भूमि पर काश्त नहीं होकर पडत होने का तथ्य मनगढ़न्त अंकित किया है। उक्त भूमि पर वर्तमान में भी विपक्षीगण द्वारा काश्त की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 759/517 रकबा 0.12 बीघा किस्म पेटा 1 एवं आराजी नम्बर 823/517 रकबा 7.01 बीघा किस्म पेटा 1 भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है जो कि मौजा राशमी की साबिक आराजी नम्बर 559 रकबा 20.01 बीघा भूमि में से 5.15 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता व विपक्षी संख्या 3 के पति स्व. भुवानीराम को गैर खातेदारी हक से तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 84/70 से दिनांक 13.05.1978 को आवंटित की जो कि नामान्तरण संख्या 42 दिनांक 12.09.1975 से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता व वि. सं. 3 के पति के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम राशमी, तहसील राशमी की आराजी संख्या 559 रकबा 20.01 बीघा के सेटलमेंट से आराजी संख्या 517/2462 रकबा 11.01 बीघा किस्म पेटा 1 बने तथा गत बन्दोबस्त की आराजी

नम्बर 517 रकबा 69 बीघा भूमि किस्म पेटा होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। उपलब्ध अभिलेख अनुसार इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 759/517 रकबा 0.12 किस्म पेटा 1 तथा आराजी नम्बर 823/517 रकबा 7.01 बीघा किस्म पेटा 1 बने जिसकी वर्तमान में भी किस्म पेटा 1 दर्ज है जो कि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नामान्तरण/नकल जमाबंदी/ इत्यादि राजस्व रेकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म पेटा की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म पेटा की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है।

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म पेटा 1 की भूमि अंकित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है जिसमें किसी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं तथा ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड होकर प्रभाव शून्य है। अतः ग्राम राशमी, तहसील राशमी की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 517 किस्म पेटा जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 759/517 रकबा 0.12 बीघा किस्म पेटा 1 एवं आराजी नम्बर 823/517 रकबा 7.01 बीघा किस्म पेटा 1 होकर वर्तमान में भी किस्म पेटा 1 है जो कि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है।

पटवार हल्का सोमी ने अपने मौका पर्चा दिनांक 20.09.2019 में उक्त आवंटित भूमि आराजी संख्या 759/517 रकबा 0.12 किस्म पेटा 1 व आराजी सख्ंया 823/517 रकबा 7.01 किस्म पेटा 1 भूमि विपक्षीगण के कब्जे में होकर काश्त नहीं होना तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पड़त होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा काश्त नहीं की जा रही है तथा वर्तमान में भी भूमि पड़त पड़ी हुई है और विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है तथा प्रश्नगत भूमि की किस्म पेटा 1 की भूमि अंकित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात होने

तथा ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड होकर प्रभाव शून्य है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को आराजी नम्बर 759/517 रकबा 0.12 किस्म पेटा 1 एवं आराजी नम्बर 823/517 रकबा 7.01 किस्म पेटा 1 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)